



# K. M. Sugar Mills Ltd.

Corporate Office and works : Moti Nagar, Faizabad-224 201 (U.P.)

Phone No. : 05278-254059, 254094, 254027; Fax no. : 05278-254575

CIN No. : L15421UP1971PLC003492, Mail ID : kmsugar@gmail.com

Website : www.kmsugar.com



National Stock Exchange of India Limited,  
Exchange Plaza, C-1, Block-G,  
Bandra Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai-400051  
Phone no. 022-26598100

Date: 09<sup>th</sup> February, 2019

Dear Sir,

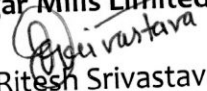
This refers to your mail dated 6<sup>th</sup> February, 2019 in response to announcement made by the Company on 4<sup>th</sup> February, 2019 under reg. 30 of SEBI (Listing and Other Disclosures Requirements) Regulations, 2015 in connection with closure of its Distillery Unit of the Company by the U P Pollution Board and sought our clarification on the followings:

1. Reasons for closure :- UP Pollution Board vide its letter no. H32148 dated 31-01-2019 closed the production in Distillery Unit of the Company, the copy of which is enclosed for your ready reference.
2. Date of closure or estimated time of closure ; Estimated time of closure is not known. However, the Company is making its best efforts to get it restarted.
3. Amount & percentage of turnover or revenue or income and net worth of the listed entity contributed by such unit or division during the last financial year ;

|             |                  |        |
|-------------|------------------|--------|
| - Turn Over | Rs. 54.51 crores | 10.75% |
| - Net Worth | Rs. 24.00 crores | 29.46% |
4. Date of such binding agreement, if any, entered for sale of such unit / division, if any :- NO.

We hope that you will find our submission in order.

Thanking you,

Your's faithfully,  
For K M Sugar Mills Limited,  
  
Ritesh Srivastava  
(Company Secretary)



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. H32148

सहमति जल/01/बन्दी/फैजा0/19

Dated 31-01-2019  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि० (आसवनी इकाई)  
मोती नगर,  
जनपद- अयोध्या।

यह कि मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि० (आसवनी इकाई) मोती नगर, अयोध्या जो कि कच्चे माल के रूप में मोलासेस आदि का प्रयोग कर रेक्ट्रीफाइड स्पिरिट एवं पावर एल्कोहल के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि उद्योग का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.01.2019 को किया गया। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मोलासेस का प्रयोग कर रेक्ट्रीफाइड स्पिरिट एवं पावर एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 50 किलो०/दिन है। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उद्योग का उत्पादन कार्य दिनांक 28.01.2019 को प्रातः 08:00 बजे स्वेच्छा से बन्द कर दिया गया है। निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द है परन्तु कलैण्डरिया क्लीनिंग वाटर उत्प्रवाह के रूप में लैगून पर डिस्चार्ज हो रहा है।

यह कि उद्योग में एल्कोहल उत्पादन से उत्पन्न स्पेन्टवाश एवं मोलासेस लिकर टाइप उत्प्रवाह को भण्डारण हेतु परिसर में विभिन्न क्षमता के 04 लैगून स्थापित हैं, जिनकी क्षमता क्रमशः 13000 किली०, 1766 किली०, 1650 किली० तथा 250 किली० बतायी गयी है। 13000 किली०, 3766 किली० एवं 250 किली० क्षमता के लैगून्स पर क्षमता के सापेक्ष प्रत्येक में 96 प्रतिशत स्पेन्टवाश एवं मोलासेस लिकर टाइप उत्प्रवाह भरा हुआ पाया गया। 1650 किली० क्षमता के लैगून में तली पर अल्प मात्रा में स्पेन्टवाश/लिकर प्रकृति का उत्प्रवाह जिसकी अनुमानित मात्रा 50 किली० सम्भावित है, भण्डारित पाया गया। इस सम्बन्ध में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत लैगून में 0 के०एम० शुगर मिल्स लि० से उत्पन्न मोलासेस के भण्डारण हेतु प्रयोग किया जाता रहा है जो कि वर्तमान में प्रयुक्त न होने तथा दिनांक 24.01.2019 एवं 25.01.2019 में हुई बरसात से स्पेन्टवाश जैसा उत्प्रवाह जनित हुआ है, जो कि भण्डारित है।

यह कि निरीक्षण के समय स्पेन्टवाश/लिकर वाश की भारी मात्रा एवं जनन एवं अनियमित भण्डारण के सम्बन्ध में उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि स्पेन्टवाश को मल्टी इफैक्ट इवापोरेटर द्वारा सांद्रित किये जाने के उपरान्त बगास के साथ मिक्स कर स्लोप ब्यालर (क्षमता 16 टी.पी.एच.) के संचालन हेतु ईंधन के रूप में उपभोग किया जाता है। उत्पादन कार्य बन्द कर दिये जाने के कारण स्पेन्टवाश सांद्रण प्रक्रिया तथा स्लोप ब्यालर का संचालन बन्द होना पाया गया।

यह कि उद्योग द्वारा स्पेन्टवाश को कम्पोस्ट यार्ड में कम्पोस्ट तैयार किये जाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। कम्पोस्ट यार्ड में स्पेन्टवाश भण्डारण टैंक जिसकी क्षमता 250 किली० है पूर्णतया अर्थात् 96 प्रतिशत क्षमता तक भरा होना पाया गया। उद्योग द्वारा लगातार कम्पोस्ट उत्पादन हेतु प्रयुक्त स्पेन्टवाश पूर्णतया ड्राई न होने के कारण दिनांक 24.01.2019 एवं 25.01.2019 में हुई बरसात के कारण इन्फ्लूयेन्ट लोडिंग की समस्या उत्पन्न होना दृष्टिगोचर हुआ। वर्षा जल मिश्रित स्पेन्टवाश की भारी मात्रा उत्पन्न हो जाने के कारण कम्पोस्ट यार्ड में विभिन्न स्थलों पर यत्र-तत्र भरा हुआ पाया गया तथा आगामी एक सप्ताह तक कनज्यूम/ड्राई होना सम्भावित नहीं है। इकाई द्वारा उत्पादन मात्रा के सापेक्ष स्पेन्टवाश/लिकर वाश समुचित कम्पोस्टिंग आदि का नियंत्रण नहीं रखा जाना पाया गया है।

यह कि उद्योग संचालन हेतु उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा वर्तमान में उपरोक्त जल प्रदूषण की समाधान हेतु (बरसात/आकस्मिक स्थिति में उपरोक्त वर्णित प्रकार के उत्प्रवाह के निस्तारण) परिसर में भूमिगत पाइप लाइन खाली करी है। परिसर के अन्तर्गत एक पाइप लाइन से शुगर उत्पादन डिबीजन तथा दूसरी पाइप लाइन से डिस्टीलरी उत्पादन डिबीजन से जनित विभिन्न प्रकृति के उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु अस्थायी भूमिगत पाइप लाइन का प्रबन्धन किया जाना पाया गया तथा उक्त वर्णित प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह को पाइप लाइन के माध्यम से ड्रेन आउट करते हुये मिल परिसर के निकटस्थ स्थानीय नाले में किया गया है, जो कि अत्यधिक मात्रा में नाले में भण्डारित होना तथा ग्रेवटेशनल फ्लो से इटौरा एवं अर्जना गाँव होते हुये तमसा नदी में निस्तारण होता हुआ पाया गया।

यह कि उद्योग को इस कार्यालय के पत्रांक 16549/यू.पी.पी.सी.बी./फैजा./सी.टी.ओ. -जल दिनांक 16.03.2018 द्वारा दिनांक 31.12.2019 तक शून्य उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति प्रदान की गयी है। उद्योग द्वारा सहमति की शर्त संख्या 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 एवं 19 का अनुपालन नहीं किया गया है।

यह कि समिति द्वारा क्षेत्र में व्याप्त न्यूसेन्स, संक्रामक रोगों की आशंका एवं कृषि भूमि, पर्यावरणीय कुप्रभाव नियंत्रण हेतु तथा भूगर्भीय जल प्रदूषण की वास्तविक स्थिति बोर्ड को इकाई द्वारा प्रेषित किये जाने के निर्देश पारित किया जाना उचित बताया गया है ताकि गुण दोष के दृष्टिगत प्रश्नगत नाले की समुचित सफाई, ड्रेजिंग आदि होने से स्थानीय निवासियों द्वारा प्रकट की गई समस्या एवं जल प्रदूषण की सम्भावनाओं का निदान बोर्ड द्वारा विचारित किया जा सके।

समिति की उक्त संस्तुतियों के दृष्टिगत उद्योग को समयबद्ध अनुपालन हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं।

1. स्पेन्टवाश के भण्डारण हेतु स्थापित लैगून (क्षमता 13000 किली०) से ओवरफ्लो को रोकने हेतु लैगून में 0.3 मी० फीबोर्ड बनाये जायें तथा लैगून में स्पेन्टवाश का स्तर (लेवल) 25 प्रतिशत होने तक आसवनी इकाई अभी औद्योगिक एल्कोहल का उत्पादन कार्य न किया जाये।
2. उद्योग द्वारा उत्प्रवाह निस्तारण हेतु डाली गयी भूमिगत पाइप लाइन को तत्काल डिस्मेन्टल किया जाय।
3. बायोक्म्पोस्टिंग यार्ड पर दो शैलो हैण्डपम्प स्थापित किये जायें ताकि भूगर्भीय प्रदूषण की जाँच सम्बन्धी विश्लेषण किया जा सके।
4. उद्योग द्वारा बायोक्म्पोस्टिंग खाद के उत्पादन एवं बिक्री के ऑकड़े (आवश्यक प्रपत्रों के साथ, जिससे इनका सत्यापन सम्भव हो) मासिक रूप से बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
5. बायो फर्टिलाइजर के पैथाजन रहित होने के सम्बन्ध में फर्टिलाइजर का विश्लेषण कराकर आख्या एक माह में प्रेषित किया जाय।
6. प्रति कि०ली० एल्कोहल के उत्पादन पर जनित स्पेन्टवाश के अनुश्रवण हेतु मीटरिंग डिवाइस लगाने के साथ-साथ इस आशय का निर्देश दिया जाना उचित होगा कि उत्पादन प्रक्रिया से प्रति एल्कोहल पर चार्टर द्वारा निर्धारित मानकों की स्पेन्टवाश की मात्रा से अधिक जनित न हो सके। मल्टीइफेक्ट इवापोरेटर की कार्य दक्षता स्पेन्टवाश की प्रति कि०ली० जनित मात्रा एवं बायो कम्पोस्टिंग प्रक्रिया व लैगून की उपलब्ध क्षमता बोर्ड को प्रेषित करें ताकि उत्पादन प्रक्रिया का पुनः संचालन सम्भव हो सके।
7. उद्योग परिसर में शीरे की लिकेज को रोकने की सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की जाय।
8. प्रश्नगत नाले की समुचित सफाई एवं ड्रेजिंग का कार्य विलम्बतम् एक माह में पूर्ण कर लिया जाय।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या 200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 में यह उल्लेख है कि प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले उद्योगों के विरुद्ध प्रत्येक उल्लंघन पर ₹० 50,000/- मात्र का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित किया जाना आदेशित है। उद्योग को पूर्व में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.11.2018 द्वारा दिनांक 14.11.2017, 19.07.2018, 13.09.2018 तथा 01.11.2018 को शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था का उल्लंघन पाये जाने पर ₹० 02 लाख का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जा चुका है। उद्योग द्वारा शून्य उत्प्रवाह निस्तारण व्यवस्था का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः दिनांक 17.11.2018 से दिनांक 28.01.2019 तक ₹० 50000/- (पचास हजार मात्र) प्रति दिन की दर से कुल ₹० 36.5 लाख (छत्तीस लाख पच्चास हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बैंक खाता संख्या- 701502010002104 IFSC Code UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त जन-हित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग को संचालन से रोका जाय।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सक्षम अधिकारी की अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 32(1) (सी) के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

- 1 यह कि उद्योग मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि०(आसवनी इकाई), मोती नगर, अयोध्या को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-25/26 के अन्तर्गत जारी सहमति आदेश पत्रांक 16549/UPPCB/Faizabad(UPPCB RO) CTO/water/ Faizabad/2018 दिनांक 16.03.2018 को निलम्बित किया जाता है।
- 2 यह कि उद्योग मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि०(आसवनी इकाई), मोती नगर, अयोध्या के संचालन को तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध किया जाता है।
- 3 यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि औद्योगिक संयंत्र उद्योग मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि०(आसवनी इकाई), मोती नगर, अयोध्या को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जलापूर्ति को विच्छेदित करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
वृत्त-6

पृ० सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, अयोध्या।
2. बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।
3. आबकारी आयुक्त, टी०सी० 12 वी०, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग मेसर्स के०एम० शुगर मिल्स लि०( आसवनी इकाई) मोतीनगर, फैजाबाद को शीरे का आवंटन बन्द कर दें।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, अयोध्या।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या को इस आशय के साथ कि प्रेषित कि उद्योग को जारी बन्दी आदेश का तत्काल अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
वृत्त-6